..(व्यवधान) मुझे अपनी बात कहने के लिए ..(व्यवधान)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI G. SWAMINATHAN): No. no...(*Interruptions*)... I will put it to the senses of the House...(*Interruptions*)... No...(*Interruptions*)...One minute ...(*Interruptions*)...

SYED SIBTY RAZI: The Member who is raising this point is him self going to raise this issue...(*Interruptions*)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI G. SWAMIANTHAN): No. no. Please hear me. please hear me. If it is the sense of the House...(*Interruptions*)... then I have no objection. That is what I have said. Shall we have the Private Members' business ...(*Interruptions*)...

Now, another important thing... (*Interruptions*)...

श्री नारायण प्रसाद गुप्ता: इस तरह से तो यह पूरे सदन में नहीं उठ पाएगा। ..(व्यवधान).. कृपा करके आप ..(व्यवधान).. दस मिनट में हम लोग अपनी बात समाप्त कर देंगे। ..(व्यवधान)..

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI G. SWAMIANTHAN): Now, another important thing is that Shri Narain Prasad Gupta's name is fourth in the list. Before that, there are three other names. if they also do not insist, then I can permit him. There are three Memebrs before him in the lsit. The list has been given to me. Now, as Presiding Officer, my position is very delicate. I can't suddenly permit him without obliging the other three Members. What does the House want me to do? ...(*Interruptions*)... Then, there are another three names in the zero Hour list... (*Interruptions*)...

श्री नारायण प्रसाद गुप्ता: मेरा आपसे अनुरोध है कि जबलपुर के भूकंप का मामला ..(व्यवधान)..

AN HON. MEMBER: We are not obejcting to it.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI G. SWAMINATHAN): Nobody is objecting. If the House agrees, I can taken it up.

SYED SIBTEY RAZI: The Jabalpur issue is a very important one. Other matters have taken a lot of time. But, this is a humanitarian problem. The people are suffering. If we are not taking it up today, it will be again. ..(*Interruptions*)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI G. SWAMINATHAN): Taking the sense of the House ...(*Interruptions*)...

SHRI H. HANUMANTHAPPA (Karnataka): Introduction of the Bills can be completed. Discussion can start after that. We can finish the introduction part.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI G. SWAMINATHAN): Will that be all right? Once we start the Private Members' business, the House will have to continue for two and a half hours. I think, it can't be done in a piecemeal manner. As far as my experience goes, you can't do that in a piecemeal manner. So, I would say we better complete this first and then start the Private Members' business. I do not think it will be fair to interrupt the Private Members' business. So, is it the sense of the House that we permit him?

SOME HON. MEMBERS: Yes. Yes.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI G. SWAMINATHAN): Shri Narain Prasad Gupta.

SPECIAL MENTION

Recent Earthquake in Jabalpur, Madhya Pradesh

श्री नारायण प्रसाद गुप्ता (मध्य प्रदेश): उपसभाध्यक्ष महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। हम लोगों ने इसलिए आग्रह किया है क्योंकि यह बहुत ही गम्भीर मामला है। यह मामला बहुत गम्भीर इसलिए है कि लातूर में जो भीषण भूकम्प आया था, उससे भी अधिक तीव्रता से यह जबलपुर का भूकम्प आया है जो कि पिछले सौ साल में पहली बार आया है। लातूर के भूकम्प में ज्यादा जन हानि हुई थी लेकिन जबलपुर के भूकम्प में जन हानि ज्यादा नहीं हुई है क्योंकि गर्मियों के दिन थे, लोग बाहर सोये हुये थे। इस भूकम्प में केवल 39 लोग मारे गये हैं लेकिन सम्पत्ति की हानि इतनी

ज्यादा हुई है कि जिसका कोई जवाब नहीं है। इसलिए मैं पूरे हाउस से यह प्रार्थना करना चाहता हूं कि जबलपुर की भूकम्प की घटना से सात जिले प्रभावित हुए हैं। यह भूकम्प अकेले एक जगह का मामला नहीं है। भूकम्प का असर जबलपुर में, मंडला में, सिवनी में, छिंदवाड़ा में, नरसिंहपुर में, दामोह में और रायसेन में हुआ है। इस भूकम्प के अधिकृत और बाहर के लोगों ने, विशेषज्ञों ने जो आंकड़े तैयार किए हैं, उसके मुताबिक इससे 6 हजार करोड़ रुपये तक का नुकसान हुआ है। सरकार ने अभी तक जो प्राथमिक आंकड़े तैयार किए हैं वह एक हजार करोड़ तक के हैं। केन्द्र सरकार ने केवल 9 करोड़ रुपये की मदद दी है। अब अगर यही भूकम्प पीड़ितों की मदद करने का तरीका है तो वहां राहत कहां से मिलेगी। हमारी डिफेन्स की फैक्टरी यहां पर है, आयुध निर्माण की फैक्टरी यहां पर है, वह भी इससे प्रभावित हुई है। जबलपुर संभाग का, जबलपुर शहर का एक भी घर ऐसा नहीं है जो इस भूकम्प से प्रभावित नहीं हुआ हो। इससे मकानों को भारी नुकसान हुआ है और वे मकान बारिश में गिर जायेंगे। मैं संक्षेप में भूकम्प से प्रदेश में जो क्षति हुई है, उस को बता रहा हूं। जन हानि-39, घायल व्यक्तियों की संख्या-2,435, पशु हानि-47, पूर्णतः क्षतिग्रस्त मकान-16,005, आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त मकान-3,45,065 प्रभावित जनसंख्या-27,59,522 और प्रभावित परिवारों की संख्या - 3,65,957 है। ये सरकारी आंकड़े हैं। भूकम्प से हुई हानि का अनुमान जो भी लगाया जाए वह कम है। केन्द्र की सरकार ने केवल 9 करोड़ रुपये दिए हैं। उसने केवल वायदे किए हैं और उसकी तरफ से वहां पैसा गया ही नहीं है। दुर्भाग्य से मध्य प्रदेश की सरकार को भी जितनी मदद करनी चाहिए, वह उतनी मदद नहीं कर पाई है।

उसे जनरल अपील करनी चाहिए क्योंकि देशभर के लोग पीड़ितों की मदद करने के लिए तैयार हैं, सहयोग करने के लिए तैयार हैं। लेकिन जो उचित कदम उठाये जाने चाहिए थे वह अभी तक नहीं उठाये गये हैं। मेरा केन्द्र की सरकार से अनुरोध है कि यहां से कोई टीम वहां पर भेजी जाए जो इसका आकलन करे और मदद दे। इस संबंध में हमारी मांगें इस तरह से हैं।

1. जबलपुर संभाग को विशेष आपदाग्रस्त क्षेत्र घोषित किया जाये।

2. भूकम्प पीड़ितों हेतु केन्द्र तत्काल एक हजार करोड़ रुपये प्रदान करे।

3. भूकम्प से पूर्णतः ध्वस्त मकान मालिकों को 25 हजार रुपये एवं आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त मकानों को 10 हजार रुपये की राहत राशि तत्काल प्रदान की जाये।

4. भूकम्प पीड़ितों को क्षतिग्रस्त मकानों की मरम्मत हेतु हुडको से ऋण दिलाने की शर्तों को सरल करके बिना ब्याज का ऋण उपलब्ध कराया जाये।

5. भूकम्प से ध्वस्त अर्थ-व्यवस्था को सुधारने हेतु जबलपुर संभाग के सभी प्रकार के व्यावसायिक, कृषि एवं स्थानीय करों में छूट प्रदान की जाये।

6. भूकम्प में क्षतिग्रस्त गांवों एवं शहरों के पुनर्निर्माण के लिए विशेष कार्य योजना बनाकर समुचित धनराशि उपलब्ध कराई जाये।..(**समय की घंटी**).. मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं।

7. राहत से वंचित व्यवसायिक भवनों को राहत के दायरे में लेकर के तत्काल राहत प्रदान की जाये।

8. सभी क्षतिग्रस्त भवनों का आँकलन करके उन्हें पहुंची आर्थिक क्षति का प्रमाण-पत्र प्रदान दिया जाये।

9. शासकीय आवासों में रह रहे कर्मचारियों को भी राहत राशि प्रदान की जाये।

10. मुख्य मंत्री जबलबुर के भूकम्प पीड़ितों की सहायता के लिए राष्ट्रव्यापी अपील करें।

यह राष्ट्रीय आपदा है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि केन्द्र सरकार को भी इस मामले को गम्भीरता से लेना चाहिए और अपेक्षित मदद करनी चाहिए। यही कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI G. SWAMINATHAN): Shri Suresh Pachouri.

SHRI RAGHAVJI (Madhya Pradesh): Sir, what about me?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI G. SWAMINATHAN): He has already given his name.

SHRI RAGHAVJI: I have also given my name.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI G. SWAMINATHAN): Your name is not there.

SHRI RAGHAVJI: My name is there, Sir.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI G. SWAMINATHAN): Your name is not there. Your name has not come to me.

SHRI RAGHAVJI: Sir, when Madam was presiding, I had given my name.

SHRI H. HANUMANTHAPPA (Karnataka): Sir, as it was an important subject, ten minutes was given. But if everybody starts speaking, it would take half-an-hour more.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI G. SWAMINATHAN): Shri Suresh Pachouri wants to speak. It is a matter concerning his State. Mr. Pachouri, you have to complete within one minute.

SHRI RAGHAVJI: Sir, I had given notice of a Special Mention on this matter.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI G. SWAMINATHAN): It is not there.

SHRI RAGHAVJI: I had given notice.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI G. SWAMINATHAN): The Special Mention which has been admitted is only in the name of Shri Narain Prasad Gupta.

SHRI RAGHAVJI: I have given notice.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI G. SWAMINATHAN): It has not been admitted. Your name is not here. ...*(Interruptions)*

Please wait for a minute. I will give you one or two minutes. Don't drag on. After Suresh Pachouri speaks, I will give you some time. You may speak for one or two minutes.

श्री सुरेश पचौरी (मध्य प्रदेश): मान्यवर, जबलपुर में भूकम्प की जो घटना हुई है वह निसंदेह दिल दहलाने वाली है और उसमें जो जन और सम्पदा की हानि हुई है वह भी अत्यधिक है। जो आंकलन मध्य प्रदेश सरकार ने किया है उसके अनुसार मध्य प्रदेश सरकार ने जो राशि चाही है, विभिन्न मदों के माध्यम से, चाहे वह राष्ट्रीय आपदा कोष हो, चाहे जवाहर रोजगार योजना हो, चाहे इंदिरा आवास योजना हो और चाहे वर्ल्ड बैंक की स्कीम हों, मध्य प्रदेश सरकार से इस विपदा से निपटने के लिए और वहा के लोगों को राहत देने तथा उनके पुनर्वास की व्यवस्था करने के लिए जितनी राशि चाही थी, केन्द्र सरकार द्वारा उतनी राशि नहीं दी गई है। इसके अतिरिक्त मेरा आपके माध्यम से यह अनुरोध भी है कि यह सदन यह अपील करे, विभिन्न जो वालेंटरी एजेंसीज हैं, विभिन्न जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो सोशल एजेंसीज कि वे वहां जो भूकम्प पीड़ित लोग हैं, उनको आर्थिक सहायता और दूसरे रूप में भी सहायता पहुंचायें। साथ ही उस क्षेत्र में, जिसमें लगभग 12 जिले आते हैं, जबलपुर संभाग और भोपाल संभाग को मिलाकर उसे भूकम्प प्रभावित क्षेत्र घोषित किया जाए। महोदय, इस भूकम्प के आने के बाद समय समय पर, हर आठ-दस दिन के बाद हमको यह समाचार मिलता है कि वहां पर अभी भी भूकम्प के झटके आ रहे हैं। इसलिए भूकम्प अवरोधक प्रशिक्षण शिविरों की वहां व्यवस्था की जाए ताकि लोगों को इस बात की जानकारी हो सके कि भूकम्प से बचने के लिए क्या-क्या प्रीकाशंस लिए जाने आवश्यक हैं और जब भूकम्प के झटके आते हैं तो हमें किस प्रक्रिया से गुजरना चाहिए। इससे, निश्चितरूप से वहां के लोगों को लाभ मिल सकेगा। महोदय, मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से अपील करूंगा कि मध्य प्रदेश सरकार ने जितनी राशि चाही है, उस पूरी की पूरी राशि की व्यवस्था केन्द्रीय सरकार करे। यदि दूसरे राज्यों को दी गई आपदा कोष राशि को हम देखें तो हम लोग इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि जैसा वहां पर भूकम्प हुआ है, तुलनात्मक रूप से मध्य प्रदेश सरकार को उतनी राशि नहीं दी गई है। इसलिए सारी की सारी राशि की व्यवस्था की जाए और वहां लोगों के लिए राहत और पुनर्वास की व्यवस्था की जाए।

श्री राघवजी: माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, जबलपुर में भूकम्प से भारी तबाही हुई है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 1859 गांव इसमें बरबाद हुए हैं और इनमें से 386 गांव ऐसे हैं जिनमें एक आध मकान ही ठीक प्रकार से बचा होगा, सारे मकान गिर चुके हैं। वहां पर लगभग चार लाख मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं। इतना बड़ा भूकम्प हिन्दुस्तान में आज तक नहीं आया है। भले ही जन-हानि की दृष्टि से लातूर बड़ा रहा हो लेकिन धन हानि की दृष्टि से यहां पर 6 हजार करोड़ रुपये धन की हानि हुई है। इसके लिए वहां के राज्य शासन ने 248.77 करोड़ रुपयों की मांग की है। लेकिन अभी तक केवल कुछ थोड़ी सी राहत वहां पर पहुंची है। 40 करोड़ रुपयों की घोषणा प्रधानमंत्री जी ने जब वे वहां स्वयं पहुंचे थे तो उन्होंने की थी। मेरा निवेदन है कि राज्य शासन ने जो 248.77 करोड़ रुपयों की मांग की है

उसको तुरन्त दिया जाए। इसके अलावा राज्य शासन ने यह भी कहा है कि एक हजार करोड़ रुपये का ऋण उनको प्रदान किया जाए वरना जो यह इतनी बड़ी क्षति हुई है इससे वह कभी उबर नहीं पाएंगे। इसके अलावा वहां पर मकान क्षति-ग्रस्त हुए हैं। जबलपुर शहर के हर घर में कहीं न कहीं टूट-फूट हुई है, उन में क्रेक आएं हैं। आस-पास के इलाके में भी बरबादी हुई है। जो यह इतना बड़ा भूकम्प आया है इसको नजरन्दाज न करने की मांग करते हुए मैं केन्द्र सरकार के मंत्री, जो यहां पर बैठे है, वे रिस्पांस करें और सदन में यह आश्वासन दें कि जो यह तबाही वहां पर हुई है, उस तबाही से निपटने के लिए राज्य शासन को पर्याप्त मदद दी जायेगी और 248.77 करोड़ रुपये जो राज्य शासन ने मांगे हैं उन्हें तत्काल भेजें। इस प्रकार का आश्वासन अभी इसी सदन में कहना जरूरी है क्योंकि वहां पर चार लाख मकान तबाह हुए हैं। धन्यवाद।

प्रो॰ राम कापसे (महाराष्ट्र): इस विषय में शासन की प्रतिक्रिया आ जाए। **(व्यवधान)**

श्री राघवजी: गवर्नमेंट को कुछ तो कहना चाहिए **(व्यवधान)**

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री जमेश्वर मिश्र): उपसभाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जबलपुर भूकम्प के बारे में जो चिंता जताई है, उसके साथ अपने को जोड़ता हूं और सरकार की तरफ से पूरा आश्वासन दे रहा हूं कि जितने जन-धन की क्षति वहां हुई है मध्य प्रदेश सरकार उसकी रिपोर्ट देगी, उसकी पूर्ति की जाएगी।

PRIVATE MEMBERS' BILLS

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI G. SWAMINATHAN): Now, we take up Private Members Legislative Business. Bills for introduction. Shri Raj Nath Singh. The Hon. Member is absent.

THE FOREST (CONSERVATION) AMENDMENT BILL, 1997.

श्री सतीश प्रधान (महाराष्ट्र): उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

The question was put and the motion was adopted.

श्री सतीश प्रधान: उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

THE CODE OF CRIMINAL PROCEDURE (AMENDMENT) BILL, 1997

SHRI H. HANUMANTHAPPA (Karnataka): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Code of Criminal Procedure, 1973.

The question was put and the motion was adopted.

SHRI H. HANUMANTHAPPA: Sir, I introduce the Bill.

THE STATE OF UTTARAKHAND BILL, 1997

SHRI SURESH PACHOURI (Madhya Pradesh): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for the establishment of the State of Uttarakhand by reorganisation of the existing State of Uttar Pradesh by carving out the districts of Almora, Nainital, Pauri Garhwal, Tehri, Dehradun, Uttarkashi, Chamoli and Pithoragarh and the Kumbha Mela area of Haridwar district therefrom and for matters connected therewith and incidental thereto.

The question was put and the motion was adopted.

SHRI SURESH PACHOURI: Sir, I introduce the Bill.

THE PREVENTION OF ENVIRONMENT POLLUTION BY DISTILLERIES BILL, 1997

SHRI SURESH PACHOURI (Madhya Pradesh): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for the prevention of environmental pollution by wine, beer, spirituous liquor and alcohal producing distilleries which discharge toxic fumes in the air and dangerous chemicals in the water and for matters connected therewith.

The question was put and the motion was adopted.